न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 99/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/111)
पंजीयन दिनांक– 25.02.2021
निर्णय दिनांक– 25.03.2021

1. सरपंच ग्राम पंचायत नेतावल महाराज, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ जरिये सरपंच प्रभुलाल पिता हेमा भील, निवासी नेतावल महाराज, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री बगदीराम पिता भीमराज कुमावत, निवासी सज्जनपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–
1. श्री रतनलाल कुमावत –अधिवक्ता अपीलांट्स
2. राजकीय अभिभाषक –अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश
क्रमांक/राजस्व/12–3 (6) 15/297 दिनांक 11.03.2015

निर्णय

दिनांक 25.03.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ आदेश क्रमांक/राजस्व/12–3 (6) 15/297 दिनांक 11.03.2015 के विरूद्ध दिनांक 24.12.2019 को मयाद कण्डोन का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर न्यायालय

संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में बकौल अपीलांट तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सज्जनपुरा, पटवार हल्का सज्जनपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 1 खसरा संख्या 40 रकबा 0.07 बंजर भूमि जो कि बिलानाम है दर्ज रेकार्ड से ही जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में दर्ज रेकार्ड थी एवं उक्त आराजीयात पर अपीलांट संख्या 2 का कब्जा होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त आराजीयात को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12–3 (6)15/297 दिनांक 11.03.2015 द्वारा चारागाह में आरक्षित किये जाने से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रतनलाल कुमावत उपस्थित व रेस्पोडेंट्स की ओर राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 19.03.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम सज्जनपुरा पटवार हल्का नेतावल महाराज के खाता संख्या 76 आराजी नम्बर 2 मीन रकबा 2.38 किस्म चरागाह में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.03.2015 से

चरागाह भूमि में 0.07 हैक्टेयर भूमि सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ग्राम सज्जनपुरा, ग्राम पंचायत नेतावल महाराज के पक्ष में 99 वर्ष की लिज पर आवंटित हुई है। उक्त आदेश के क्रम में तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा आदेश दिनांक 17.03.2015 से नामांतरण संख्या 158 दिनांक 11.01.2016 से पालना की गई है, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सामुदायिक भवन के भूमि आवंटन 0.07 हैक्टेयर के बदले बिलानाम बंजर भूमि आराजी नम्बर 40 रकबा 0.07 हैक्टेयर को चरनोट में आरक्षित किये जाने का आदेश किया है जो कि निराधारा होकर निरस्त योग्य है क्योंकि भूमि चरागाह ग्राम सज्जनपुरा में पहले से ही पशु के मुकाबले बहुत अधिक है। अधीनस्थ न्यायालय जिस भूमि को चरागाह में आरक्षित की है वह भूमि चारों और से खातेदारी भूमि के मध्य स्थित होकर अपीलांट संख्या 2 की खातेदारी भूमि के पास स्थित होकर अपीलांट संख्या 2 का विगत 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। इसलिए उक्त आराजी नम्बर 40 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म बंजर को बिलानाम में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय उचित है, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाए।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.03.2015 है तथा अपीलाण्ट यह अपील इस न्यायालय में (राजस्व अपील प्राधिकारी में दिनांक 17.10.2019 को तथा संभागीय आयुक्त न्यायालय में दिनांक 23.12.2019 को) प्रस्तुत की है जिसे संभागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2020 को समायोजित किया गया है।

अपीलाण्ट द्वारा आश्चर्यजनक रूप से दोनों अपीलों में न तो मियाद कण्डोन किये जाने के लिए आवेदन किया है न ही अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार हुए बिना एवं दफा 96 जा. दीवानी का आवेदन दिये बिना आवेदन प्रस्तुत किया है। किसी भी प्रकरण में विधिक अनिवार्यता है कि मियाद कण्डोन का आवेदन दिया जाए तथा साथ ही यह आदेश 41 जाप्ता दीवानी के तहत यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं है तथा उसे दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होने के तथ्यों को वर्णित करते हुए न्यायालय की अनुज्ञा दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत प्राप्त कर ही आवेदन/अपील प्रस्तुत करनी चाहिये। अपीलाण्ट की यह अपील स्पष्टतः बैरून मियाद है तथा उसने मियाद कण्डोन किये जाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन दिया है जो कि विधिक अनिवार्य एवं अपरिहार्य है।

उपरोक्त स्थिति में अपीलाण्ट की अपील बैरून मियाद एवं धारा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन के अभाव में खारिज की जाती है।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर